न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(आर.सी.ढेनवाल,आई0ए0एस0द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 02/2017
प्रविष्टि दिनांक 14.12.2017

रमेश पुत्र मोतीलाल पांचाल निवासी घांस तहसील व जिला टोंक राज0

—अपीलाण्ट

बनाम

उपखण्ड अधिकारी टोंक जिला टोक

—रेस्पोडेण्ट

द्वितीय अपील विरूद्व उपखण्ड अधिकारी टोंक

निर्णय **दिनांक 01.08.2018**

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी टोंक ने अपने आदेश दिनांक 24.07.2017 के द्वारा अपीलान्ट को 14 अंक प्राप्त होने पर बी0पी0एल0 योग्य नही होने के फलस्वरूप अपील खारिज करने पर अपीलान्ट ने उपखण्ड अधिकारी टोंक के उक्त आदेश से व्यथित होकर बीपीएल सूची 2002 में नाम सम्मिलित किये जाने हेतु द्वितीय अपील प्रस्तुत की है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर उपखण्ड अधिकारी टोंक से अपील से संबधित दस्तावेजात व रिपोर्ट मंगवाई गई।उपखण्ड अधिकारी टोंक ने उनके पत्र कमांक 70 दिनांक 12.02.2018 से रिपोर्ट प्रेषित की है कि प्रार्थी का बी0पी0एल सैन्सेंस 2002 मे सर्वे फार्म नम्बर 6718609 मे 14 अंक प्रदान किये जाने पर अपील खारिज की गई है।

हमने पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात व उपखण्ड अधिकारी टोंक द्वारा प्रेषित रिपोर्ट का अध्ययन किया। उपखण्ड अधिकारी टोंक द्वारा जांच करवाये जाने पर अपीलार्थी को जांच मे 14 अंक प्रदान किये गये है जबकि 12 अंक प्राप्त करने वाले अपीलार्थी ही बी0पी0एल सूची मे चयनित योग्य माने गये है। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 16.05.2017 को राजस्व लोक अदालत 2017 ग्राम पंचायत घांस मे आयोजित केम्प मे दुबारा अपील अधोहस्ताक्षरकर्ता(उपखण्ड अधिकारी टोंक) को प्रस्तुत की। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील की जांच विकास अधिकारी पंचायत समिति टोंक से करवाये जाने पर उन्होने उनके पत्र कमांक 135 दिनांक 21.07.2017 द्वारा जांच रिपोर्ट मे अपीलार्थी को 12 अंक दिये जाकर पात्र बताया गया है। अतः अपीलार्थी का बीपीएल सूची में नाम सम्मिलित किया जाना न्यायोचित है। फलतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 01.08.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आर.सी.ढेनवाल)
जिला कलेक्टर, टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक